शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्र. / रा.शि.के. / पा.पु. / 2018 / ET/8202

भोपाल, दिनांक 28/07/2018

प्रति,

1. जिला शिक्षा अधिकारी,
   समस्त जिले म.प्र.
2. जिला परियोजना समन्वयक,
   जिला शिक्षा केन्द्र,समस्त जिले म.प्र.

दक्षता उन्नयन : ट्रेकिंग+वॉल ऑफ फेम
परिपत्र क्रमांक–3

विषय :– **'दक्षता उन्नयन कार्यक्रम' अन्तर्गत बच्चों के सीखने के स्तर का ट्रेकिंग एवं शालाओं का वॉल ऑफ फेम पर प्रदर्शन।**

संदर्भ– 1. राशिके का पत्र क्र. 2795 दिनांक 13.06.2018
2. राशिके का पत्र क्र. 3679 दिनांक 15.06.2018
3. राशिके का पत्र क्र. 81 दिनांक 23.06.2018
4. राशिके का पत्र क्र. 4089 दिनांक 04.07.2018
5. म.प्र. पा.पु.नि. का पत्र क्र. 5232 / वितरण / 2018 दिनांक 13.06.18

उल्लेखित संदर्भित पत्रों का कृपया अवलोकन करें। विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के अनुक्रम में जिले स्तर से प्राथमिकता के आधार पर निम्नानुसार कार्यवाही आपने पूर्ण कर ली होगी –

- 25 से 30 जून 2018 की अवधि में बेसलाइन टेस्ट का सम्पादन।
- बेसलाइन टेस्ट के आधार पर बच्चों के "सीखने के स्तर" के अनुसार **प्राथमिक स्तर में अंकुर, तरूण एवं माध्यमिक स्तर में अंकुर, तरूण एवं उमंग** समूह में चिन्हांकन।
- जॉयफुल लर्निंग की गतिविधियों का संचालन।
- दक्षता उन्नयन हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं के शिक्षकों का प्रशिक्षण।
- दक्षता उन्नयन हेतु पाठ्य सामग्री अर्थात दक्षता उन्नयन शिक्षक मार्गदर्शिका (टीचर्स हैंडबुक) एवं आओ करें और सीखे (स्टूडेन्ट वर्कबुक) का शाला स्तर पर वितरण सुनिश्चित करना, एवं शिक्षक मार्गदर्शिका के कवर पृष्ठ कमांक 2 एवं 3 पर QR कोड दिए गए है जिन्हें स्केन कर संबंधित गतिविधि की जानकारी प्राप्त करना।

दक्षता उन्नयन कार्यक्रम' अन्तर्गत बच्चों के सीखने का स्तर कक्षानुरूप प्राप्त करने वाली शालाओं का वॉल ऑफ फेम पर प्रदर्शन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना है–

1. दक्षता उन्नयन हेतु निर्धारित कालखण्ड अनुसार समूहवार निर्धारित गतिविधियां कराना – दक्षता उन्नयन सामग्री प्राप्त होने के तत्काल बाद विद्यालयों में सीखने के स्तर के अनुसार बनाए गए समूह में बच्चों के साथ, शिक्षकों द्वारा दक्षता उन्नयन हेतु "टीचर्स हैंडबुक" एवं "स्टूडेन्ट वर्कबुक" के आधार पर दक्षता उन्नयन के कालखण्ड में गतिविधियाँ कराई जाएं।

2. दक्षता उन्नयन गतिविधियों उपरांत बच्चे की प्रगति को "विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र" में ट्रेक करना – इन गतिविधियों एवं वर्कबुक की अभ्यास शीट के अवलोकन एवं कक्षा शिक्षण के दौरान सतत् मूल्यांकन से शिक्षक प्रत्येक बच्चे की प्रगति को ट्रेक करेंगे तथा "विद्यार्थी मूल्यांकन प्रपत्र" में बच्चों के दक्षता स्तर उन्नयन या बच्चे की प्रगति को निम्नानुसार अंकित करेंगे–

2.1 कक्षा 3–5 में दक्षता उन्नयन की प्रगति ट्रेक करना –

- सीखने के स्तर 1–2 (प्रारंभिक एवं अक्षर) से सीखने के स्तर 3–5 (शब्द/वाक्य/कहानी) पर बच्चे के उन्नत होने की स्थिति को "विद्यार्थीवार मूल्यांकन" हेतु पृथक स्याही से सही (✓) का चिह्न लगाकर बच्चों की प्रगति को ट्रेक किया जा सकेगा। यह कार्य शिक्षक द्वारा अभ्यास के दौरान बच्चों द्वारा प्रतिदिन गतिविधि में सहभागिता की प्रगति एवं अभ्यास पुस्तिका पर अभ्यास कार्य के स्तर एवं सतत् मूल्यांकन के आधार पर अंकित किया जाएगा। जैसे ही विद्यार्थी अगला दक्षता स्तर प्राप्त करता है, उसको बेसलाइन टेस्ट प्रपत्र में अंकित किया जाकर स्तर उन्नयन किया जाएगा।

  उदाहरण के तौर पर यदि बेसलाइन टेस्ट के समय भाषा में कोई बच्चा पढ़ना (हिन्दी भाग–1) में लर्निंग लेवल 1–2 में प्रारंभिक स्तर पर दर्ज है। निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समूह बनाकर दक्षता उन्नयन गतिविधियों उपरान्त अभ्यास एवं बच्चे की दक्षता में हुई क्रमशः वृद्धि को उसी प्रपत्र के अक्षर के कॉलम में **दूसरे रंग की स्याही से सही** (✓) का चिन्ह लगाकर दर्शाएं। यदि प्रथम बार नीली स्याही का पेन उपयोग किया गया है तो दूसरी बार लाल स्याही का पेन तीसरी बार हरी स्याही का पेन उपयोग किया जा सकता है ताकि बच्चे की प्रगति की स्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो सके। ध्यान रहे कक्षा 3–5 में हिन्दी भाग–1 पढ़ना में उच्चतम स्तर "कहानी" तक प्रत्येक बच्चे को लाना दक्षता उन्नयन का उद्देश्य है। यदि पढ़ने की उच्चतम दक्षता बच्चों ने प्राप्त कर ली है तो हिन्दी भाग–2 लिखना, अन्तर्गत अक्षर एवं शब्द की दक्षता प्राप्त कराने हेतु उत्तरोत्तर प्रयास किए जांए।
- इसी प्रकार गणित में सीखने के स्तर (1–2) पर प्रारम्भिक, अंक पहचान, सख्या की समझ एवं जोड़ से जैसे–जैसे बच्चे की दक्षता उन्नत होती जाए वैसे–वैसे क्रमशः उसे घटाना, गुणा, भाग, मापन एवं ज्यामितीय आकृतियों पर पृथक–पृथक स्याही से चिन्हित किया जाए जिससे बच्चों की प्रगति को प्रपत्र पर देखा जा सके।

2.2 कक्षा 6–8 में दक्षता उन्नयन की प्रगति ट्रेक करना–

- इसी प्रकार कक्षा 6–8 में अध्ययनरत बच्चों को "हिन्दी भाग–1 पढ़ना" सीखने के स्तर 1–2 (प्रारंभिक/अक्षर) से सीखने के स्तर 3–5 (शब्द/वाक्य) तथा सीखने के स्तर 6–8 (कहानी) तक की प्रगति को ट्रेक करने हेतु पृथक–पृथक रंग के पेन का उपयोग करते हुए सही (✓) का चिन्ह लगाना है।
- बच्चे की एक दक्षता से दूसरी दक्षता में क्रमशः आगे बढ़ने या बच्चे की प्रगति को 15 दिवस में अवश्य ट्रेक किया जाए। हिन्दी भाग–1 की उच्चतम दक्षता बच्चों द्वारा प्राप्त कर लेने पर क्रमशः हिन्दी भाग–2 "लिखना" तथा हिन्दी भाग–3 "पढ़कर समझना और लिखना" की ओर ले जाने हेतु व उत्तरोत्तर प्रयास किए जाएं एवं निर्देशानुसार निर्धारित प्रपत्र पर दक्षता उन्नयन होने की स्थिति को चिन्हित किया जाए।

2.3 सभी विद्यालय सीखने के स्तर अनुसार समूह की जानकारी निम्नांकित प्रारूप में तैयार कर कक्षा में चस्पा करें –

नामांकन	दिनांक	सीखने के स्तर अनुसार निर्धारित समूह में बच्चों की संख्या		
		अंकुर	तरूण	उमंग

3 बेसलाइन टेस्ट में बुनियादी दक्षता मूल्यांकन अंतर्गत बच्चे द्वारा किए गए लिखित कार्य के पेज को पालकों को अवलोकन कराकर हस्ताक्षर कराना –

- कक्षा–3 से 8 में बेसलाइन टेस्ट अंतर्गत बुनियादी दक्षता के मूल्यांकन हेतु हिन्दी लिखना–(श्रुतलेख), गणित – जोड़, घटाना, गुणा व भाग को पृथक से एक पेज पर कराने और इस पेज को पोर्टफोलियो में रखने के निर्देश दिए गए थे।
- कक्षा–6 से 8 में बेसलाइन टेस्ट अंतर्गत हिन्दी व गणित के उन्नत दक्षता मूल्यांकन हेतु प्रत्येक बच्चे को टूल की प्रति देकर हल कराने के निर्देश दिए गए थे और इस पेज को पोर्टफोलियो में रखने के निर्देश दिए गए थे।
- बच्चे द्वारा लिखित उक्त पेज को (जिस पर बच्चे का नाम व कक्षा अनिवार्यतः अंकित हो) बच्चे के माध्यम से उनके पालक को अवलोकन व हस्ताक्षर हेतु भेजा जाए और वापस प्राप्त कर पुनः पोर्टफोलियो में रखा जाए।

4. वॉल ऑफ फेम (Wall of Fame) में शालाओं का नाम प्रदर्शित करना।

4.1 बच्चों द्वारा कक्षानुरूप दक्षताओं को प्राप्त कर लेने के पश्चात शाला द्वारा दक्षतापूर्ण होने का दावा किया जाना–

- मूलभूत दक्षताओं में जो शालाएं स्वयं के आकलन के अनुसार यह दावा करेंगी की उनकी शाला में अध्ययनरत 90 प्रतिशत या उससे अधिक बच्चे अपनी कक्षा के अनुरूप मूलभूत दक्षताओं में दक्ष हो गए हैं।
- शाला द्वारा दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के अन्तर्गत शाला के प्रधानाध्यापक द्वारा बी.आर. सी./डी.पी.सी./प्राचार्य डाईट को एस.एम.एस/व्हाट्अप मेसेज/मेल के माध्यम से अथवा पत्र लिखकर भी सूचित किया जा सकेगा।
- निर्धारित प्रक्रिया उपरांत उन शालाओं को प्रतिष्ठा प्रदान करने की दृष्टि से राज्य स्तर पर तैयार किए गए **"विमर्श पोर्टल"** पर शाला का नाम, शाला के शिक्षकों का नाम प्रदर्शित किया जाएगा।
- इन शालाओं का नाम प्रदर्शित होने के तत्काल बाद इनके दक्षता उन्नयन की प्रक्रिया बन्द की जाकर कक्षानुरूप शिक्षण प्रारम्भ किया जाएगा।

4.2 वाल ऑफ फेम (Wall of Fame) के लिए मानदण्ड–

- प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में दक्षता उन्नयन कार्यक्रम अंतर्गत बच्चों को लक्ष्य अनुरूप मूलभूत दक्षताएं अर्जित कराने का उद्देश्य रखा गया है।
- प्राथमिक शाला में जब शाला में दर्ज बच्चों के 90 प्रतिशत या उससे अधिक बच्चे सीखने के स्तर 3–5 के उच्चतम स्तर (हिन्दी में कहानी व गणित में भाग) में आ जाएं, तब ऐसी शाला के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के नाम सम्मानस्वरूप "वाल ऑफ फेम" पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
- माध्यमिक शाला में जब शाला में दर्ज बच्चों के 90 प्रतिशत या उससे अधिक बच्चे सीखने के स्तर 6–8 के उच्चतम स्तर (हिन्दी में कहानी व गणित में भाग) में आ जाएंगे, तब ऐसी शाला के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों के नाम सम्मानस्वरूप "वाल ऑफ फेम" पर प्रदर्शित किए जाएंगे।
- राज्य शासन द्वारा **'विमर्श पोर्टल'** तैयार किया गया है। इस पोर्टल पर **"वाल ऑफ फेम"** प्रदर्शित की जाएगी। जिसमें विद्यालय एवं शिक्षकों के छायाचित्र (फोटोग्राफ) प्रदर्शित किए जाएगें।

4.3 शाला द्वारा किये गये दक्षता उन्नयन के दावे का सत्यापन –

शाला द्वारा प्रस्तुत किए गए इस दावे का कि उनको शाला में बच्चों का दक्षता उन्नयन 90 प्रतिशत या उससे अधिक है इसका सत्यापन डीपीसी/प्राचार्य डाइट द्वारा अधिकृत -- डी.आर.जी., अथवा डाईट फेकल्टी द्वारा किया जाएगा। विद्यालय द्वारा सूचना देने के 1 सप्ताह की अवधि में सत्यापन कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए। सत्यापन कार्य हेतु बेसलाइन टेस्ट के टूल का उपयोग करते हुए रेंडम आधार पर चयनित कक्षा के 10 प्रतिशत अथवा न्यूनतम 10 बच्चें जो भी कम हों का टेस्ट लेते हुए "विद्यार्थीवार मूल्यांकन प्रपत्र" को क्रास चेक किया जाएगा एवं प्रमाणीकरण जारी किया जाएगा।

4.4 सत्यापन उपरांत अच्छा प्रदर्शन करने वाली शालाओं को ''वॉल आफ फ्रेम'' पर प्रदर्शन की अनुशंसा भेजना–

सत्यापन उपरांत डी.पी.सी./डाइट फेकल्टी द्वारा दक्षताओं को पूर्ण करने वाले शत प्रतिशत बच्चों का सीखने का स्तर कक्षानुरूप प्राप्त करने वाली शालाओं का **वॉल ऑफ फेम** पर प्रदर्शन की अनुशंसा राज्य को भेजी जाएगी।

दक्षता उन्न्यन की सामग्री पावती एवं वितरण की जानकारी Goog e Sheet पर अद्यतन करें। उपर्युक्त निर्देशानुसार समय सीमा में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(आईरीन सिंथिया जे.पी.)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल

पृ.क्र./रा.शि.के./पा.पु./2018/CT/8203. भोपाल, दिनांक 28/07/2018

प्रतिलिपि–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री/राज्यमंत्रीजी, स्कूल शिक्षा, म.प्र. शासन की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण, भोपाल मध्यप्रदेश।
4. कलेक्टर, समस्त जिले मध्यप्रदेश की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, समस्त जिले मध्यप्रदेश।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, समस्त संभाग, मध्यप्रदेश।
7. प्राचार्य, आईएएसई/सीटीई/डाइट समस्त मध्यप्रदेश की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. ओ.आई.सी. राशिके की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने प्रभार के जिले से सतत संपर्क कर दक्षता उन्नयन कार्यक्रम की समीक्षा कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
9. **ICT** कक्ष द्वारा एजुकेशन पोर्टल पर अपलोड करने हेतु।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल